

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग-3) शासन सचिवालय, जयपुर  
(Phone & Fax: 0141-2227287, E-mail: pdre\_rdd@yahoo.com)



क्रमांक: एफ 1(14)ग्रावि/नरेगा/अनु.-3/वेज/68151/2014

जयपुर दिनांक:

04 APR 2022

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस  
एवं जिला कलक्टर, समस्त।


विषय – महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नियोजित अकुशल श्रमिक की मजदूरी दर के संबंध में।

महोदय,

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 28.03.2022 (प्रति संलग्न) के द्वारा राजस्थान राज्य में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत नियोजित अकुशल श्रमिकों की मजदूरी दर दिनांक 01.04.2022 से रु. 231/- प्रति दिवस निर्धारित की गई है।

कृपया तदनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

  
(के.के.पाठक)  
शासन सचिव, ग्रामीण विकास

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि एवं आयुक्त, ईजीएस।
3. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
4. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
5. अति० जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5), विभाग, सचिवालय, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस।
8. अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस। / ग्रा. वि. वि.
9. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस समस्त जिला परिषद राजस्थान।
10. श्री रिंकू छीपा, प्रोग्रामर ईजीएस को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली

परि.निदे.एवं उप शासन सचिव, ईजीएस



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29032022-234585  
CG-DL-E-29032022-234585

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1385]  
No. 1385]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 28, 2022/चैत्र 7, 1944  
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 28, 2022/CHAITRA 7, 1944

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2022

का.आ. 1427(अ).—केन्द्रीय सरकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 463 (अ) तारीख 26 फरवरी, 2013, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

1. उक्त अधिसूचना में, अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

“अनुसूची

अकुशल हस्त कर्मकारों के लिए राज्य-वार मजदूरी की दर  
(रु. प्रति दिन)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रतिदिन मजदूरी की दर रुपयों में
(1)	(2)	(3)
1	आंध्र प्रदेश	257.00 रु.
2	अरुणाचल प्रदेश	216.00 रु.
3	असम	229.00 रु.
4	बिहार	210.00 रु.
5	छत्तीसगढ़	204.00 रु.

6	गोवा	315.00 रु.
7	गुजरात	239.00 रु.
8	हरियाणा	331.00 रु.
9	हिमाचल प्रदेश	गैर-अनुसूचित क्षेत्र - 212.00 रु. अनुसूचित क्षेत्र - 266.00 रु.
10	जम्मू - कश्मीर	227.00 रु.
11	लद्दाख	227.00 रु.
12	झारखंड	210.00 रु.
13	कर्नाटक	309.00 रु.
14	केरल	311.00 रु.
15	मध्य प्रदेश	204.00 रु.
16	महाराष्ट्र	256.00 रु.
17	मणिपुर	251.00 रु.
18	मेघालय	230.00 रु.
19	मिजोरम	233.00 रु.
20	नागालैंड	216.00 रु.
21	ओडिशा	222.00 रु.
22	पंजाब	282.00 रु.
23	राजस्थान	231.00 रु.
24	सिक्किम	222.00 रु.
	सिक्किम (3 ग्राम पंचायतें जिनका नाम ज्ञानथांग, लाचुंग और लाचेन)	333.00 रु.
25	तमिलनाडु	281.00 रु.
26	तेलंगाना	257.00 रु.
27	त्रिपुरा	212.00 रु.
28	उत्तर प्रदेश	213.00 रु.
29	उत्तराखंड	213.00 रु.
30	पश्चिम बंगाल	223.00 रु.
31	अण्डमान और निकोबार	अंडमान जिला- 292.00 रु. निकोबार जिला - 308.00 रु.
32	दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव	278.00 रु.
33	लक्षद्वीप	284.00 रु.
34	पुदुचेरी	281.00 रु.

2. यह अधिसूचना 01 अप्रैल, 2022 को प्रवृत्त होगी।

[ फा. सं. जे-11011/1/2020-एमजीएनआरईजीए (आरई-III)]

रोहित कुमार, संयुक्त सचिव

**टिप्पण:** मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 463(अ), तारीख 26 फरवरी, 2013 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किए गए:

- (i) का.आ. 400(अ), तारीख 13 फरवरी, 2014;
- (ii) का.आ. 2118(अ), तारीख 22 अगस्त, 2014;
- (iii) का.आ. 890(अ), तारीख 31 मार्च, 2015;
- (iv) का.आ. 1205 (अ), तारीख 23 मार्च, 2016;
- (v) का.आ. 666 (अ), तारीख 28 फरवरी, 2017;
- (vi) का.आ. 1406(अ), तारीख 28 मार्च, 2018;
- (vii) का.आ. 1424(अ), तारीख 26 मार्च, 2019;
- (viii) का.आ. 1203(अ), तारीख 23 मार्च, 2020; और
- (ix) का.आ. 1206(अ), तारीख 15 मार्च, 2021

**MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th March, 2022

**S.O. 1427(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Rural Development number S.O. 463(E), dated the 26th February, 2013, namely:--

1. In the said notification, for the SCHEDULE, the following SCHEDULE shall be substituted, namely:-

**“SCHEDULE**

**State-wise wage rate for unskilled manual workers**

**(Rupees per day)**

Sl. No.	Name of State/ Union territory	Wage rate in rupees per day
(1)	(2)	(3)
1	Andhra Pradesh	Rs. 257.00
2	Arunachal Pradesh	Rs. 216.00
3	Assam	Rs. 229.00
4	Bihar	Rs. 210.00
5	Chhattisgarh	Rs. 204.00
6	Goa	Rs. 315.00
7	Gujarat	Rs. 239.00
8	Haryana	Rs. 331.00
9	Himachal Pradesh	Non-scheduled areas - Rs. 212.00 Scheduled areas - Rs.266.00
10	Jammu and Kashmir	Rs. 227.00
11	Ladakh	Rs. 227.00

12	Jharkhand	<b>Rs. 210.00</b>
13	Karnataka	<b>Rs. 309.00</b>
14	Kerala	<b>Rs. 311.00</b>
15	Madhya Pradesh	<b>Rs. 204.00</b>
16	Maharashtra	<b>Rs. 256.00</b>
17	Manipur	<b>Rs. 251.00</b>
18	Meghalaya	<b>Rs. 230.00</b>
19	Mizoram	<b>Rs. 233.00</b>
20	Nagaland	<b>Rs. 216.00</b>
21	Odisha	<b>Rs. 222.00</b>
22	Punjab	<b>Rs. 282.00</b>
23	Rajasthan	<b>Rs. 231.00</b>
24	Sikkim	<b>Rs. 222.00</b>
	Sikkim(3 Gram Panchayats named Gnathang, Lachung and Lachen	<b>Rs. 333.00</b>
25	Tamil Nadu	<b>Rs. 281.00</b>
26	Telangana	<b>Rs. 257.00</b>
27	Tripura	<b>Rs. 212.00</b>
28	Uttar Pradesh	<b>Rs. 213.00</b>
29	Uttarakhand	<b>Rs. 213.00</b>
30	West Bengal	<b>Rs. 223.00</b>
31	Andaman and Nicobar	<b>Andaman District – Rs.292.00</b>
		<b>Nicobar District - Rs. 308.00</b>
32	Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu	<b>Rs. 278.00</b>
33	Lakshadweep	<b>Rs. 284.00</b>
34	Puducherry	<b>Rs. 281.00”.</b>

2. This notification shall come into force on the 1<sup>st</sup> day of April, 2022.

[ F. No. J-11011/1/2020-MGNREGA (RE-III)]

ROHIT KUMAR, Jt. Secy.

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 463(E), dated the 26<sup>th</sup> February, 2013 and subsequently amended vide the following notifications, -

- (i) S.O. 400(E), dated the 13<sup>th</sup> February, 2014;
- (ii) S.O. 2118(E), dated the 22<sup>nd</sup> August, 2014;
- (iii) S.O. 890(E), dated the 31<sup>st</sup> March, 2015;
- (iv) S.O. 1205 (E), dated the 23<sup>rd</sup> March, 2016;
- (v) S.O. 666 (E), dated the 28<sup>th</sup> February, 2017;
- (vi) S.O.1406(E), dated the 28<sup>th</sup> March, 2018;

- (vii) S.O.1424(E), dated the 26<sup>th</sup> March, 2019;  
(viii) S.O.1203(E), dated the 23<sup>th</sup> March, 2020; and  
(ix) S.O.1206(E), dated the 15<sup>th</sup> March, 2021.